



झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

03 चैत्र, 1943 (श०)

संख्या- 216 राँची, सोमवार,

22 मार्च, 2021 (ई०)

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग,

संकल्प

31 जनवरी, 2020

कृपया पढ़ें :-

1. कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग का ज्ञापन संख्या-5089 (अनु0), दिनांक 10.07.2018

संख्या-1/ आरोप-532/ 2018 का.-741--श्री बिरसाय उराँव, भा.प्र.से. (झा:2005), तत्कालीन उप विकास आयुक्त-मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद, चतरा के विरुद्ध विभागीय ज्ञापन संख्या-5089 (अनु0), दिनांक 10.07.2018 के द्वारा उप विकास आयुक्त, चतरा के रूप में पदस्थापन अवधि में बरती गयी निम्न अनियमितता के लिए आर्टिकल्स ऑफ चार्ज, इम्प्यूटेशन ऑफ मिसकंडक्ट एवं मिसविहैवियर तथा साक्ष्यों की तालिका निर्गत की गयी -

1. श्री बिरसाय उराँव द्वारा बिना आवंटन के निकासी की गयी राशि को पंचायतों एवं पंचायत समितियों के बीच चेक के माध्यम से वितरित किया गया।
2. मामला संज्ञान में आने के उपरान्त श्री उराँव द्वारा आंशिक रूप से राशि की वसूली कर सरकारी खजाने में जमा किया गया।

3. श्री बिरसाय उराँव द्वारा राशि 5,48,88,204/- सरकारी खाते में वापसी शीर्ष में जमा कराया गया। उक्त राशि में 14वें वित्त आयोग की भी राशि विचलन कर जमा किया गया।

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग के संकल्प संख्या-9085 (अनु0) दिनांक 13.12.2018 के द्वारा श्री बिरसाय उराँव, भा.प्र.से. (झा:2005) के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही के संचालन हेतु श्रीमती हिमानी पाण्डे, भा.प्र.से. (झा:1998), सचिव, अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग, झारखण्ड को संचालन पदाधिकारी तथा श्री मुरली मनोहर प्रसाद, उप विकास आयुक्त-सह-मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद, चतरा को उपस्थापन पदाधिकारी नियुक्त किया गया।

श्रीमती हिमानी पाण्डे, भा.प्र.से. (झा:1998), सचिव, अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग, झारखण्ड- सह - संचालन पदाधिकारी द्वारा विभागीय कार्यवाही के संचालन के उपरान्त जाँच प्रतिवेदन समर्पित किया गया जिसमें श्री उराँव के विरुद्ध गठित सभी आरोपों को प्रमाणित नहीं माना गया है।

संचालन पदाधिकारी से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन की सम्यक् समीक्षोपरान्त राज्य सरकार द्वारा

श्री उराँव को उनके विरुद्ध गठित आरोपों से मुक्त करते हुए उनके विरुद्ध चलायी गयी विभागीय कार्यवाही को समाप्त करने का निर्णय लिया गया है।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

अरुण कुमार सिन्हा,
सरकार के अवर सचिव।
